भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3556

(सोमवार, 11 अगस्त, 2025/20 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों को धरानशि

3556. श्री देवेश शाक्यः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उत्तर प्रदेश में महारत्न और नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अब तक कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत कितने गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को धनराशि प्रदान की गई है;
(ख) ऐसे एनजीओ की सूची क्या है और उन परियोजनाओं के प्रकार क्या हैं जिनके लिए सीएसआर धनराशि कंपनी-वार और जिला-वार, विशेष रूप से एटा, कासगंज, इटावा, औरैया, मैनपुरी और कन्नौज जिलों में प्रदान की गई है; और
(ग) क्या सरकार ने धनराशि के आवंटन के लिए कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर कानूनी ढांचे में, 'गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, तथापि, कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के नियम 4(1) के साथ पठित अधिनियम की धारा 135 में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर कार्यकलापों को स्वयं या निर्धारित कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) के माध्यम से करने का अधिकार है।

(ख): सीएसआर ढांचा प्रकटन आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों को अपनी सीएसआर कार्यकलापों का वार्षिक ब्यौरा एमसीए21 रजिस्ट्री में फ़ाइल करना अपेक्षित है। कंपनियों द्वारा एमसीए21 रजिस्ट्री में कंपनी-वार, राज्य-वार, जिला-वार और विकास क्षेत्र-वार सहित फ़ाइल किए गए सीएसआर से संबंधित सभी आंकड़े सार्वजनिक डोमेन www.csr.gov.in पर उपलब्ध हैं। कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा आबंटित/उपयोग की गई निधियों तथा परियोजना-वार सीएसआर व्यय के सीएसआर आंकडे मंत्रालय द्वारा विशिष्ट रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, एमसीए 21 रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई फाइलिंग के आधार पर, पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष) अर्थात 2021-22 से 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश में पीएसयू द्वारा जिलावार सीएसआर व्यय अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): सरकार ने लाभार्थियों के चयन अथवा निधियों के आबंटन के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए हैं। यह सीएसआर समिति की सिफारिश के आधार पर कंपनियों के बोर्डों की जिम्मेदारी है। तथापि, सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कारपोरेट सामाजिक दायित्व कानूनी ढांचे में प्रावधान निर्धारित किए हैं कि कार्यकलाप के किसी भी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए व्यय किया जाता है और यह व्यय कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत कंपनियों पर यथा लागू लेखा परीक्षा और वित्तीय विवेक के मानकों के अनुसार किया जाता है।

******

लोकसभा में दिनांक 11.08.2025 के उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3556 के भाग (ख) का संदर्भ लें

वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2023-24 तक उत्तर प्रदेश में पीएसयू द्वारा जिलावार सीएसआर व्यय (राशि करोड़ रुपये में)				
क्र.सं.	जिलें	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1	आगरा	2.56	1.44	0.52
2	अलीगढ़	0.13	0.04	0.12
3	अम्बेडकर नगर	-	2.53	3.49
4	औरैया	6.80	4.54	3.88
5	अयोध्या	3.49	0.32	2.11
6	आजमगढ़	0.56	-	2.81
7	बागपत	1.90	0.50	2.40
8	बहराइच	0.08	0.18	0.85
9	बलिया	0.06	0.48	6.69
10	बलरामपुर	1.81	0.74	1.16
11	बारा बांकी	0.36	5.02	4.44
12	बरेली	0.10	0.00	1.48
13	बस्ती	1.24	2.00	1.97
14	भदोही	0.14	-	1.25
15	बिजनौर	0.18	0.10	3.65
16	बदायूं	-	0.07	0.29
17	बुलंदशहर	0.39	2.66	3.45
18	चंदौली	4.10	3.81	3.25
19	चित्रकूट	0.16	1.48	2.69
20	देवरिया	0.05	1.18	0.61
21	इटावा	0.81	0.47	0.62
22	फर्रुखाबाद	0.05	0.05	-
23	फतेहपुर	0.01	0.32	1.31
24	फिरोजाबाद	0.17	0.80	3.44
25	गौतम बुद्ध नगर	1.98	12.54	13.17
26	गाज़ियाबाद	4.75	1.60	4.83
27	गाजीपुर	0.00	0.18	-
28	गोंडा	-	-	1.88
29	गोरखपुर	0.24	2.26	3.49
30	हमीरपुर	-	0.08	-
31	हरदोई	-	0.04	0.54
32	हाथरस	-	0.06	0.68
33	जालौन	0.08	0.03	-
34	जौनपुर	0.04	0.28	3.23
35	झांसी	3.56	0.96	1.13
36	कन्नौज	-	-	0.29
37	कानपुर देहात	0.06	0.27	0.08
38	कानपुर नगर	7.39	-	-
39	कौशाम्बी	0.10	0.12	0.71
40	खीरी	1.21	0.44	1.58

जारी... 2/

41	लखनऊ	26.99	15.89	39.26
42	महोबा	-	-	0.26
43	महराजगंज	-	0.24	0.36
44	मैनपुरी	0.23	0.03	0.49
45	मथुरा	14.65	18.32	18.78
46	मेरठ	0.09	0.17	6.70
47	मिर्जापुर	1.18	0.46	1.99
48	मुरादाबाद	-	-	0.15
49	मुजफ्फरनगर	0.20	0.38	3.54
50	प्रतापगढ़	-	0.31	2.44
51	प्रयागराज	0.55	1.00	4.73
52	रायबरेली	39.28	5.18	9.23
53	सहारनपुर	-	-	0.08
54	संत कबीर नगर	-	0.23	0.11
55	शाहजहाँपुर	0.55	0.60	2.15
56	श्रावस्ती	1.64	1.58	0.88
57	सिद्धार्थनगर	2.01	0.30	4.89
58	सीतापुर	-	0.10	3.02
59	सोनभद्र	27.40	37.88	47.44
60	सुल्तानपुर	-	9.90	10.46
61	उन्नाव	-	0.23	0.30
62	वाराणसी	35.38	43.63	69.27
63	जिला वर्गीकृत नहीं	19.20	45.87	38.75
	कुल	213.91	229.93	349.34

(31.03.2025 तक के आंकड़े) (स्रोत: कारपोरेट डाटा प्रबंधन प्रकोष्ठ)